भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA no. 03/2023

No. 2019/AC-II/20/4/ PFA conf

New Delhi, dated: 23.02.2023

Pr. Financial Advisor.
All Zonal Railways and Production Units

Sub:- Minutes of the Review Meetings held with PFAs/Zonal Railways and Production Units held in Board's office on 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 14.02.2023 and 17.02.2023.

Minutes of the Conference of PFA/Zonal Railways and Production Units held in Board's office on the aforementioned dates are enclosed for kind information.

DA:As above

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

I/3061804/2023

Minutes of the Review Meetings held by Member Finance with PFAs and FA&CAOs of Zonal Railways, Construction offices and Production Units held in Board's office on 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 14.02.2023 and 17.02.2023

A series of review meetings with PFAs and FA&CAOs of Zonal Railways, Construction offices and Production Units were held by Member Finance in Railway Board. The meetings were attended by PFAs of all Zonal Railways and Production Units including CORE, RDSO and FA&CAOs Construction. An SAG officer from each Zone was also associated with the review. List of participants is at **Annexure I**. The Agenda of the meeting is at **Annexure II**:

1. Address by Member Finance

a. OWE of units should remain within the spending limits set for them.
b. CAPEX targets should be met fully. CAPEX utilisation is a joint responsibility. Finance must ensure no delays in stages like vetting of estimates and processing of bills. Proactive role in ensuring priority projects are completed as per targets. MIS generated from various IT platforms should be utilised to flag bottlenecks in the system. Works and CAPEX targeted for next year should be monitored from commencement of FY 2023-24 itself. Zones to ensure that targets of physical and financial progress are met.
c. Reason for drawal of OT (vacancies/rake links/crew links/deployment) to be analysed. The high expenditure under this head should be brought down.
d. Implementation of eMBs to be chased for expeditious execution of works and meeting CAPEX targets. While implementation of eMBs is pending, the physical MBs should also be monitored to ensure that timely CAPEX spending is ensured.
e. Station-wise earnings should be monitored with close involvement of the Traffic Accounts branch.
f. Since e-MCDOs are being submitted the MCDO should highlight not only the relevant data but specific achievements of good work done towards tracking deliverables.
g. Intensive use of digitisation to meet staff shortages should be explored by Zones.
h. Changes required in IPAS may be highlighted to the Board.
i. PFAs have to personally ensure that procedures are followed and where required they are improved.
j. PFAs have to personally monitor processing of high value transactions like Arbitration awards. The inaction of SER and , perhaps, some other Railways, on high value arbitration awards linked to Wagon Investment Scheme has

I/3061804/2023

been noted. Such instances should not arise. Proper legal advice must be immediately sought to protect Government interest.

k. Pro-active role of PFAs and other officers in fast track modernisation of stations and station estate development should be ensured. PFAs must ensure a pro-active role in realising sundry earnings.

l. TAMS must be fully implemented by 28.02.2023 on all Railways.

m. Review of inventory balances for all Production Units will be done in the first quarter of the next FY. Physical inspection of inventory should be undertaken by all officers. Inventory movement should be smooth and efficient. Overheads should be as low as possible.

2. Discussion on Agenda Items and Items raised by Zonal Railways and PUs:

No	Topic	Item	Action by
1	**Budget**	The Revenue Expenditure figures for all Zones were reviewed by EDF/ B. a. Charged expenditure should be gauged accurately and with full justification especially against Supplementary Grants. b. Revenue Expenditure checks should be in place so as to not exceed the Grant. Balanced budget is the target for this year and next Financial Year. a. Surrender of funds, both under Revenue and Demand 16, Plan head and Source wise should be projected and communicated by end of the week. c. Debits from RVNL should be accounted for in projections of expenditure. d. Throw forward liabilities should be reviewed for rationalisation of Works Programme e. Since Revenue projections may not be entirely met, the position of Bills Recoverable and Traffic Suspense is critical. Bills	Zonal Railways/ EDF/B

I/3061804/2023

No	Topic	Item	Action by
		Recoverable position should reflect substantial improvement over opening balances. Zonal Railways to send references with details for hard-core items stuck at inter-ministry level. Traffic Suspense also needs liquidation as per targets. f. Metro Railway requested funds for liquidation of old liabilities.	
2	**Expenditure**	a. Payment of OT should be analysed. Measures like review of crew links, loco links, filling up of vacancies and other solutions should be explored thoroughly with executive counterparts. A separate report on this may be sent to PED(A). b. Oil companies have highlighted the issue of long billing cycle of payment against oil deliveries on all Zones. This needs to be reviewed in association with Stores and Mechanical Branch in respective Zones and a report on this may be submitted to PED(A). c. All payments must be made as per the checks prescribed. Imprest usage should be thoroughly reviewed. d. Advances made for special activities like NI should also be watched for clearance. It should be ensured that items of frivolous nature are not part of the expenditure. e. Strengthening of capacity for handling complexities in EPC contracts. f. Online verification of Bank Guarantees may be done to save on verification time. g. Medical bills for patients belonging to other Zones are being borne by the Zone where the hospital to which they have been referred is located. Budget provision may be made	Zonal Railways/ EDF/B/ EDF/X

No	Topic	Item	Action by
		accordingly since exchange of debits has been discontinued under latest policy. h. All important proposals under consideration in RDSO should be tracked and PED(A) should be kept informed. Proportion of expenditure on research should be more compared to establishment costs. Research linked to various endowments should be closely monitored for outcomes and should be reviewed at ED level given the long-term nature of such projects. Integration between RDSO and Gati Shakti Vishwavidyalaya is needed. RDSO should develop as a center for excellence.	ED Finance RDSO
3	Revenue	a. Target for complete roll out of TAMS Phase I is end of February. Zones should scrupulously adhere to the target. b. Latest directives concerning Productivity Test were discussed by EDF/X. EDF/X explained the list of projects circulated for taking up Productivity Test is only indicative ie works chosen for conducting the Test can be beyond the list. The activity is now a part of GM MCDO. CR raised issue of reconciling provisions of Finance Code and Accounts Code regarding Productivity Test. c. Possible digitisation of Productivity Tests using FOIS and IPAS data should be explored d. Change in workflow in IRPSM in line with latest delegations for Umbrella/Sub-umbrella/DRM priority items will be ensured. e. Amendments to Finance Code Volume 1, Para 715A should be kept in view in light of RoR	Zonal Railways/ EDF/X/ OSD/A/ JDFCCA

I/3061804/2023

No	Topic	Item	Action by
		requirements of proposals being vetted for Works programme. f. Zones where CIL sidings are located should ensure prompt action on recommendations of the RB committee regarding identification of CIL and Railway assets. g. Manual CR notes may be discontinued in favour of accepting only e-CR notes to obviate duplication of work and quicker switch over to TAMS h. New detailed heads under Sundry (Abstract Z-650 Other Unclassified Receipts) may be opened for help in analysis of earnings.	
4	Books	a. Old suspense balances must be reviewed. Sustaining such balances on books makes the system vulnerable to fraud. Large amounts appearing under "Departmental balances" need to be taken up for disposal: these are very old items which have also been highlighted by Audit. E-MCDO should faithfully reflect the complete figures and correct picture. Deposits broadly categorised as "Deposit Others" must be investigated in detail. b. Acceptance of NR's GTKM debits by Zones for trains running on DFCCIL sections to be ensured.	Zonal Railways
5	Taxation	a. GST ITC reconciliation should be ensured. Issues flagged by CR regarding linking of ITC accruing from purchase of REC certificates from various sellers through NVVN will be taken up with CRIS. b. Report on recasting SPV agreements submitted by PFA WR to be studied and feedback to be given. Various models of SPVs with	Zonal Railways/ EDFC/ Director Accounts/ CRIS/ OSD/A

I/3061804/2023

No	Topic	Item	Action by
		variations to be listed out. Pending GST issues related to SPVs to be scrutinised and report submitted. c. GST and Service Tax matters: i. Correct invoicing for expenditure booked to IRFC/EBR to be ensured for avoiding disputes related to ITC. ii. Invoices from RVNL should be sought and linked against debits passed on by Railway Board. iii. Any additional reports required for ease of ITC reconciliation may be flagged by the Railways. iv. Ineligible credit under C2 flag should be accounted for properly. This may be reviewed by all Zones to ensure proper booking of expenditure. v. Notices from GST authorities on TDS and ITC for WCR need to be addressed. vi. Instructions for use of delivery challan instead of invoices for material against which payment is made later will be issued through Stores Directorate to enable Railways to claim ITC. d. Collection and linking of Lower Tax Deduction Certificate in name of IRFC from Vendor should be ensured to avoid penalties e. Payment of enhanced GST through SVC module is yet to be operationalised by CRIS f. A brief on Railways' financial	

I/3061804/2023

No	Topic	Item	Action by
		arrangement with IRFC to be shared so as to be able to satisfy queries of GST authorities. Zonal Railways may use this during discussion with GST authorities.	
6	Pension	a. Reconciliation of pension debits must be both thorough and timely. Spot checks should also be emphasized. Recovery of overpayment from Banks should be taken up. RBI will need to be approached for implementation of instructions in this regard. b. Auto uploading of NPS amount to NSDL was requested. OSD/A informed that such a facility was under pilot testing and will be rolled out.	Zonal Railways/ JDFCCA/ OSD/A
7	Audit	a. Replies on ATNs to be specific and should be provided point-wise and para-wise from Zones to facilitate disposal at Board level. b. Decentralisation of closure of audit objections at Divisional level may be taken up with Audit to facilitate more efficient disposal of issues highlighted during audit.	EDFC/ DF/A
8	Strengthening of Accounts Department	a. Work Accountants: Justification for continuance – Note to be sent by all Zones. b. RWF, ICF and CLW flagged that vacancies of SVs need to be filled. c. RCF and BLW raised the issue of filling up of vacancies of officers especially in view of work from COFMOW being transferred to RCF. d. More delegations to senior scale and JAG finance officers particularly for tender cases may be examined in view of consultancy works and vacancy	Zonal Railways/ PED/A EDF/X and EDF/S

I/3061804/2023

No	Topic	Item	Action by
		position in Open line, Construction and Production Units.	
9	IPAS/ Computerisation etc	a. MERS module should be used for collecting dues online. Suggestions for expanding scope of MERS and improvement in user-interface to be sent. b. Online generation of PRAN facility should be popularised for use by all Zones c. Digital signatures on IRWCMS platform may be implemented d. VCs for training/refreshing of procedures on Accounting Reforms may be organised again. e. PFA WCR flagged the need for data sanitisation of Accrual statements. f. ICF and CLW raised the issue of mechanism for matching of Purchase Suspense figures generated by iMMS and IPAS.	Zonal Railways/ JDFCCA/ Director Accounts
10	e-MCDO	a. Report on good works/innovative procedures to be sent to Railway Board, as a part of MCDO. b. E MCDOs are not being received on time. Details are also missing. It should be ensured that they are submitted by the 15th of the following month. c. Details of pending arbitration cases should be sent with the e-MCDO.	Zonal Railways

I/3061804/2023

ANNEXURE I

S.NO.	OFFICERS FROM RAILWAY BOARD	DESIGNATION
1	Anjali Goyal	MF
2	Roopa Srinivasan	PED (A)
3	Bhaskar Choradia	EDF/B
4	Ajeet Kumar Srivastava	EDF/X
5	Rabindra N. Mishra	EDF/C
6	Sanjeev Sharma	OSD/ACCOUNTS
7	Sanjeev Jain	EDF/S
8	Pratima Tripathi	DF/A
9	Vipul Tripathi	DIR ACCOUNTS
10	Ajay Bartwal	JDFCCA
11	Puneet Meena	JD/B

S.NO.	OFFICERS FROM ZONAL RAILWAYS/PRODUCTION UNITS	DESIGNATION
1	Bhavana Sharma	PFA/NWR
2	Tripti Mathur Mehra	FACAO G/NWR
3	Rupesh Singhvi	FACAO/C/NWR
4	Yogesh Kumar Srivastava	PFA/NCR
5	Aditya Joshi	FACAO/WST/NCR
6	Chandan Kumar Verma	FACAO/C/NCR
7	Anju Ranjan	FACAO/C/SWR
8	Srinivas N Raju	FACAO/W&S/SWR
9	Muralidhar Madhur	PFA/SECR
10	Sandeep Maheshwari	FACAO/C/SECR
11	Parag Katre	FACAO/F&G/SECR
12	A Venkata Reddy	PFA/SCR
13	Santhi S Raju	FACAO/T/SCR
14	Vivekanand	FACAO/C/SCR
15	Satyendra Kaushik	PFA/NR
16	Amrita Darpan	FACAO W&s/NR
17	Tanu Chandra	FACAO/C/NR
18	Shreeshail Malge	FACAO/BOOKS/NR
19	Usha Venugopal	PFA/SR
20	S. Krishnamoorthy	FACAO/C/SR
21	Salim Jawed	FACAO/G/SR
22	Rabi Sankar Mitra	PFA/ECOR
23	Sumana Mohanty	FACAO/T/ECOR

I/3061804/2023

S.NO.	OFFICERS FROM ZONAL RAILWAYS/PRODUCTION UNITS	DESIGNATION
S.NO.	OFFICERS FROM ZONAL RAILWAYS/PRODUCTION UNITS	DESIGNATION
24	Ramchandra Rao	FACAO/C/ECOR
25	Prashant Mishra	PFA/ER
26	Malabika Mohan Ghosh	FACAO/C/ER
27	Saurabh Mitra	FACAO/G/ER
28	Preeti Jha	PFA/NER
29	Rohit Raj Gupta	FACAO/F&G/NER
30	Amar Jit Gautam	FACAO/C/NER
31	Saumya Mathur	PFA/SER
32	Ambika Jain	FACAO/SER
33	Sharat Bhatia	FACAO/C/SER
34	Anita Sarmah	FACAO/C-I/CR
35	Namita Tripathi	FACAO/F&B/CR
36	Amita Shukla	FACAO/F&G/CR
37	Niva Singh	PFA/CR
38	Uma Ranade	PFA/WR
39	K Bhuvaneswari	FACAO/C/WR
40	Manoj R. Asawa	FACAO/F&B/WR
41	Nawal K Srivastava	PFA/WCR
42	Deepa Chawla	FACAO/F&B/WCR
43	Subhashish Nath	FACAO/C/WCR
44	Madhukar Sinha	PFA/ECR
45	Chhavi Jha	FACAO/C/ECR
46	Basant Kumar Singh	PFA/METRO
47	Dinesh Kumar Gupta	PFA/CORE
48	D K Ramaiah	PFA/NFR
49	David Lalmalsawma	FACAO/F&B/NFR
50	Mahabir Prasad	FACAO/G/NFR
51	Bikram Singh Gill	FACAO/PLW
52	G S Hira	PFA/RCF
53	Amar Kumar Sinha	PFA/BLW
54	P K Das	PFA/CLW
55	Aparna Garg	PFA/RWF
56	Karunker K Menon	PFA/ICF
57	Hema Suneetha	FACAO/Projects/ICF
58	Sudhir Kumar	FACAO/CLW
59	Vineet Dwivedi	ED/F RDSO

I/3061804/2023

ANNEXURE II

	AGENDA ITEMS FOR REVIEW
1	Position of Revenue Expenditure: Additional requirement/surrender
2	Position of Capital Expenditure: Utilization of CAPEX, Details of additional requirement / surrender of funds over RG 2022-23 allotment as per latest position, Fund source wise and Planhead wise, clearance of old dues
3	Bills in hand position
4	Shortfall in Revenues
5	Bills Recoverable (Position to end of January)
6	Traffic Suspense
7	Clearance of Suspense Balances
8	Checks on Pension Payments
9	Review of OT and Establishment expenditure
10	Delay in clearance of Oil Company bills
11	Special measures and actions being instituted by the Accounting units for Internal Check, including regular Test Checks of bills
12	Implementation of TAMS: Shortfalls
13	Position of GST-ITC
14	Report of Productivity Test in terms of RB's letter No. F(X)II/2022/PD/1 dated 31.03.2022
15	*Any other item related to the Zone/Production Unit

I/3061804/2023

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

आरबीए सं. 03/2023

सं. 2019/एसी-II/20/4/पीएफए कांफ

नई दिल्ली, दिनांक: 23.02.2023

प्रधान वित सलाहकार

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: दिनांक 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 14.02.2023 और 17.02.2023 को बोर्ड कार्यालय में क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के प्रमुख वित्त सलाहकारों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त

उपरोक्त उल्लेखित दिनांक को बोर्ड कार्यालय में आयोजित क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के प्रमुख वित्त सलाहकारों के सम्मेलन के कार्यवृत्त सूचनार्थ संलग्न है।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

(विपुल त्रिपाठी)

निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

दिनांक 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 14.02.2023 और 17.02.2023 को बोर्ड कार्यालय में क्षेत्रीय रेलों, निर्माण कार्यालय और उत्पादन इकाईयों के प्रमुख वित्त सलाहकारों और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारियों के साथ सदस्य वित्त द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त

रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त द्वारा क्षेत्रीय रेलों, निर्माण कार्यालयों और उत्पादन इकाइयों के प्रमुख वित्त सलाहकारों तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारियों के साथ एक श्रृंखला में समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। बैठक में कोर, अ.अ.मा.सं और निर्माण के सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारियों सहित सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के प्रमुख वित्त सलाहकारों द्वारा भाग लिया गया। प्रत्येक क्षेत्रीय रेल से एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी भी समीक्षा से संबद्ध थे। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक। पर रखी गयी है। बैठक की कार्यसूची अनुलग्नक ॥ पर रखी गयी हैः

1. सदस्य वित्त का संबोधन

क. इकाइयों की ओडब्ल्यूई उनके लिए निर्धारित खर्च की सीमा के भीतर होनी चाहिए।

ख. कैपेक्स लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए। कैपेक्स उपयोग एक संयुक्त जिम्मेवारी है। वित्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन की विधीक्षा और बिलों को प्रक्रियाबद्ध करने जैसे स्तरों में किसी प्रकार का विलंब न हो। प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की लक्ष्य के अनुसार पूर्णता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका हो। विभिन्न आईटी प्लेटफार्मों से सृजित एमआईएस का सिस्टम में अवरोध को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाए। अगले वर्ष के लिए लक्षित कार्य और कैपेक्स को वित्त वर्ष 2023-24 के शुरु होने से ही मॉनिटर किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय रेलों को यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य पूरा किया जाए।

ग. ओटी (रिक्तियां/रेक लिंक/क्रू लिंक/तैनाती) के आहरण के कारणों का विश्लेषण किया किया जाना है। इस शीर्ष के तहत होने वाले अत्यधिक व्यय को कम किया जाना चाहिए।

घ. कार्यों के शीघ्र निष्पादन और कैपेक्स लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ईएमबी के क्रियान्वयन पर निगरानी की आवश्यकता है। जब ईएमबी का क्रियान्वयन लंबित है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर कैपेक्स खर्च सुनिश्चित हो, इसके लिए वास्तविक एमबी की

भी निगरानी की जानी चाहिए।

ङ. यातायात लेखा शाखा की निकट सहभागिता के साथ स्टेशन-वार आय की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

च. चूंकि ई-एमसीडीओ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इसलिए एमसीडीओ में न केवल प्रासंगिक आंकड़ों को चिन्हित करना चाहिए, बल्कि प्रदेय को ट्रैक करने की दिशा में किए गए अच्छे कार्य की विशिष्ट उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए।

छ. कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा डिजिटलीकरण के गहन उपयोग का पता लगाया जाना चाहिए।

ज. आईपीएएस में अपेक्षित बदलाव को बोर्ड के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

झ. प्रमुख वित्त सलाहकार को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और जहां आवश्यक हो, उसमें सुधार किया जाता है।

ञ. प्रमुख वित्त सलाहकार को मध्यस्थता निर्णय जैसे उच्च मूल्य के लेनदेन की प्रक्रियाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी होती है। वैगन निवेश योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मध्यस्थता निर्णयों पर दक्षिण पूर्व रेलवे और शायद कुछ अन्य रेलवे की निष्क्रियता को नोट किया गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सरकारी हितों की रक्षा के लिए उचित कानूनी सलाह तुरंत ली जानी चाहिए।

ट. स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण और स्टेशन संपदा विकास में प्रमुख वित्त सलाहकारों और अन्य अधिकारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। विविध आमदनी के वसूली में प्रमुख वित्त सलाहकारों को अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए।

ठ. सभी रेलों पर दिनांक 28.02.2023 तक टीएएमएस को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

ड. सभी उत्पादन इकाइयों के लिए इन्वेंट्री बैलेंस की समीक्षा अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में की जाएगी। इन्वेंट्री का वास्तविक निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। इन्वेंट्री मूवमेंट सुगम और कुशलता से किया जाना चाहिए। ओवरहेड्स यथा संभव कम होना चाहिए।

2. कार्यसूची की मदों और क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा उठाई गई मदों पर विचार-विमर्श

सं.	विषय	मद	निम्नलिखित द्वारा की गई कार्रवाई
1	बजट	सभी क्षेत्रीय रेलों के राजस्व व्यय के आंकड़ों की समीक्षा कार्यपालक निदेशक वित्त/बजट द्वारा की गई। क. प्रभारित व्यय को विशेष रूप से अनुपूरक अनुदानों के संबंध में, सही और पूर्ण औचित्य के साथ आंका जाना चाहिए। ख. राजस्व व्यय की जांच कर ली जानी चाहिए ताकि यह अनुदान से अधिक न हो। इस वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के लिए संतुलित बजट का लक्ष्य है। क. राजस्व और मांग 16 दोनों के तहत योजना शीर्ष और स्त्रोत-वार निधियों के अभ्यर्पण का अनुमान लगाया जाना चाहिए और सप्ताह के अंत तक सूचित किया जाना चाहिए। ग आरवीएनएल से डेबिट को व्यय के अनुमानों में शामिल किया जाना चाहिए। घ. निर्माण प्रोग्राम को युक्तिसंगत बनाने के लिए थ्रो फारवार्ड दायित्वों की समीक्षा की जानी चाहिए। ङ. चूंकि राजस्व अनुमानों को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वसूली योग्य बिलों और यातायात सस्पेंस की स्थिति महत्वपूर्ण है। बिल वसूली योग्य स्थिति से प्रारंभिक जमा के ऊपर पर्याप्त सुधार परिलक्षित होना चाहिए। क्षेत्रीय रेलें अंतर-मंत्रालय स्तर पर अटकी हुई हार्ड-कोर मदों के ब्यौरों के साथ पत्र भेजेंगी। ट्रैफिक सस्पेंस को भी लक्ष्य के अनुसार परिशोधन की आवश्यकता है। च. मेट्रो रेल ने पुराने ऋणों के परिशोधन के लिए निधि हेतु अनुरोध किया है।	क्षेत्रीय रेलें/का.नि.वि/ब
2.	व्यय	क. ओ टी के भुगतान का विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्रू लिंक,	क्षेत्रीय

		लोको लिंक, रिक्तियों को भरने और अन्य समाधानों की समीक्षा जैसे उपायों को कार्यकारी समकक्ष अधिकारियों के साथ बारीकी से खोजा जाना चाहिए। इस पर प्रमुख कार्यपालक निदेशक(लेखा) को एक अलग रिपोर्ट भेजी जा सकती है। ख. तेल कंपनियों ने सभी क्षेत्रीय रेलों पर तेल की सुपुर्दगी के एवज में भुगतान के लंबी बिलिंग प्रक्रिया के मामले को उठाया है। संबंधित क्षेत्रीय रेलों में भंडार और यांत्रिक शाखा के सहयोग से इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और इस पर एक रिपोर्ट प्रमुख कार्यपालक निदेशक(लेखा) को प्रस्तुत की जाए। ग. सभी भुगतान निर्धारित चेकों के अनुसार किए जाने चाहिए। इंप्रेस्ट उपयोग की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। घ. एनआई जैसी विशेष गतिविधियों के लिए किए गए अग्रिमों को भी क्लिरियेंस के लिए देखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैर-महत्वपूर्ण प्रकृति की वस्तुएं व्यय का हिस्सा न हों। ङ ईपीसी संविदाओं में जटिलताओं से निपटने के लिए क्षमता का सुदृढ़ीकरण किया जाए। च. सत्यापन समय बचाने के लिए बैंक गारंटी का ऑनलाइन सत्यापन किया जाए। छ. अन्य क्षेत्रीय रेलों से संबंध रखने वाले रोगियों के लिए चिकित्सा बिल उस क्षेत्रीय रेल द्वारा वहन किए जा रहें हैं जिसके क्षेत्राधिकार में वह अस्पताल अवस्थित है जहां के लिए रोगी को रेफर किया गया है। चूंकि नवीनतम नीति के तहत डेबिट के आदान-प्रदान को बंद कर दिया गया है, इसलिए तदनुसार बजट प्रावधान की व्यवस्था की जाए।	रेलें/का.नि.वि/ब/ का.नि.वि/व्यय
		ज. अ.अ.मा.सं. में विचाराधीन सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों का पता लगाया जाना चाहिए और प्रमुख कार्यपालक निदेशक(लेखा) को सूचित किया जाना चाहिए। स्थापना संबंधी लागतों की तुलना में अनुसंधान पर व्यय का अनुपात अधिक होना चाहिए। विभिन्न एंडोमेंट से जुड़े अनुसंधान को परिणामों के लिए गहन निगरानी की जानी चाहिए और ऐसी परियोजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति को देखते हुए कार्यपालक निदेशक स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए। अ.अ.मा.सं. और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच समेकन की आवश्यकता है।	का.नि. (वित्त) अ.अ.मा.सं.

		अ.अ.मा.सं. को उत्कृष्टत केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए।	
3.	राजस्व	क. टीएएमएस चरण-I को पूर्ण रूप से शुरू करने का लक्ष्य फरवरी के अंत तक है। क्षेत्रीय रेलों को लक्ष्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ख. उत्पादकता संबंधी परीक्षण से संबंधित नवीनतम निर्देशों पर कार्यपालक निदेशक,वित्त/व्यय द्वारा चर्चा की गई थी। कार्यपालक निदेशक,वित्त/व्यय ने उल्लेख किया कि उत्पादकता परीक्षण लेने के लिए परिपत्रित परियोजनाओं की सूची केवल सांकेतिक है अर्थात परीक्षण आयोजित करने के लिए चुने गए कार्यसूची के अतिरिक्त हो सकते हैं। यह गतिविधि अब महाप्रबंधक एमसीडीओ का एक भाग है। सीआर ने उत्पादकता परीक्षण के संबंध में वित्त संहिता और लेखा संहिता के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का मामला उठाया। ग. एफओआईएस और आईपीएएस आंकड़े का उपयोग करके उत्पादकता परीक्षणों के संभावित डिजिटलीकरण का पता लगाया जाना चाहिए घ. अम्ब्रेला/सब-अम्ब्रेला/मं.रे.प्र प्राथमिकता संबंधी मदों के लिए नवीनतम प्रत्यायोजनों के अनुरूप आईआरपीएसएम में कार्य प्रवाह में बदलाव सुनिश्चित किया जाए। ङ. निर्माण कार्यक्रम के लिए पुनरीक्षण किए जा रहे प्रस्तावों के आरओआर आवश्यकताओं के आलोक में वित्त संहिता वाल्यूम 1, पैरा 715 ए के संशोधनों को ध्यान में रखा जाए। च. उन क्षेत्रीय रेलों जहां सीआईएल साइडिंग स्थित हैं, में सीआईएल और रेलवे परिसंपत्तियों की पहचान के संबंध में रेलवे बोर्ड समिति की सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। छ. कार्य के दोहराव से बचने और टीएएमएस पर तेजी से स्विच करने के लिए केवल ई-सीआर नोट स्वीकार करने के पक्ष में मैनुअल सीआर नोट बंद किया जाए। ज. कमाई के विश्लेषण में मदद के लिए विविध (एब्सट्रैक्ट जेड - 650 अन्य अवर्गीकृत रसीद) के तहत नए विस्तृत शीर्ष खोले जा सकते हैं।	क्षेत्रीय रेल/का.नि.वि/व्यय/वि.का.धि./लेखा/जेडीएफसीसीए
4	बुक	क. पुराने सस्पेंस बैलेंस की समीक्षा की जानी चाहिए। बुक में इस तरह के बैलेंस को बनाए रखने से सिस्टम धोखाधड़ी के लिए	

		सुभेद्य हो जाता है। "विभागीय शेष" पर निपटान संबंधी कार्रवाई की आवश्यकता है: ये बहुत पुरानी मदें हैं जिन पर लेखा परीक्षा द्वारा भी प्रकाश डाला गया है। ई-एमसीडीओ में विश्वसनीय रुप से पूर्ण आंकड़े और सही तस्वीर प्रतिबिंबित होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर "जमा अन्य" (डिपोजिट अदर्स) के रूप में वर्गीकृत डिपोजिट की विस्तार से जांच की जानी चाहिए। ख. डीएफसीसीआईएल सेक्शनों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए क्षेत्रीय रेल द्वारा एनआर के जीटीकेएम डेबिट की स्वीकृति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	क्षेत्रीय रेलें
5	कराधान	क. जीएसटी आईटीसी में सामंजस्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एनवीवीएन के माध्यम से विभिन्न विक्रेताओं से आरईसी प्रमाणपत्रों की खरीद से अर्जित होने वाले आईटीसी को जोड़ने के संबंध में सीआर द्वारा उठाए गए मुद्दों को क्रिस के साथ उठाया जाएगा। ख. प्रमुख वित्त सलाहकार, पश्चिम रेल द्वारा प्रस्तुत एसपीवी समझौतों को पुनः तैयार करने संबंधी रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और फीडबैक दी जाएगी। परिवर्तनों के साथ एसपीवी के विभिन्न मॉडलों की सूची तैयार की जाएगी। एसपीवी से संबंधित लंबित जीएसटी मामलों की समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ग. जीएसटी और सेवा कर के मामले: i. आईटीसी से संबंधित विवादों से बचने के लिए आईआरएफसी/ईबीआर के लिए बुक किए गए व्यय के लिए सही इनवॉयस बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ii. आरवीएनएल से इनवॉयस मांगे जाने चाहिए और रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए डेबिट के एवज में लिंक किए जाने चाहिए। iii. आईटीसी संबंधी समाधान को आसान बनाने के लिए अपेक्षित किसी भी अतिरिक्त रिपोर्ट को रेलवे द्वारा फ्लैग किया जा सकता है। iv. सी-2 फ्लैग के तहत अयोग्य क्रेडिट का उचित लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। व्यय की उचित बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा इसकी समीक्षा की जाए। v. पश्चिम मध्य रेलवे के लिए टीडीएस और आईटीसी के संबंध में जीएसटी अधिकारियों द्वारा दिए गए नोटिस का समाधान किए	क्षेत्रीय रेलें/का.नि.वि/सी/ निदेशक लेखा/क्रिस/वि.का .धि/लेखा

		जाने की आवश्यकता है। vi जिस सामग्री के लिए बाद में भुगतान किया जाता है, उसके इनवॉयस के बजाय डिलीवरी चालान के उपयोग के लिए अनुदेश भंडार निदेशालय द्वारा जारी किए जाएंगे ताकि रेलवे आईटीसी का दावा कर सके। घ. दंड से बचने के लिए विक्रेता से आईआरएफसी के नाम पर निम्नतर कर कटौती प्रमाण पत्र का संग्रह और संपर्क (लिंकिंग) सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ङ. एसवीसी मॉड्यूल के माध्यम से बढ़े हुए जीएसटी का भुगतान अभी तक क्रिस द्वारा परिचालित नहीं किया गया है च. आईआरएफसी के साथ रेलवे की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में एक सारपत्र साझा किया जाना है ताकि जीएसटी प्राधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। क्षेत्रीय रेलें जीएसटी प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान इसका उपयोग कर सकती हैं।	
6	पेंशन	क. पेंशन डेबिट का समाधान पूरी तरह से और समय पर दोनों ही प्रकार से होना चाहिए। स्पॉट चेक पर भी जोर दिया जाना चाहिए। बैंकों से अधिक भुगतान की वसूली पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता है। ख. एनपीएस राशि को एनएसडीएल को स्वतः अपलोड करने का अनुरोध किया गया था। वि.का.धि./ए ने बताया कि इस तरह की सुविधा पायलट परीक्षण के अधीन है और इसे शुरू किया जाएगा।	क्षेत्रीय रेल/ लेखा/जेडीएफसी सीए/ वि.का.धि.
7	लेखा-परीक्षा	क. एटीएन पर दिए गए उत्तर विस्तृत होने चाहिए और बोर्ड स्तर पर निपटान को आसान बनाने के लिए क्षेत्रीय रेलों से बिंदु-वार और पैरा-वार उत्तर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ख. मंडल स्तर पर लेखा परीक्षा आपत्तियों को समाप्त करने के लिए विकेंद्रीकरण को लेखा परीक्षा के साथ उठाया जा सकता है ताकि लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों के कुशलता से निपटान को सुविधाजनक बनाया जा सके।	क्षेत्रीय रेलें/का.नि.वि/सी/ डीएफ/ए
8	लेखा विभाग का सुदृढ़ीकर	क. लेखाकार का कार्य: जारी रखने के लिए औचित्य - सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा नोट भेजा जाए । ख. रेपका, सडिका और चिरेका ने सूचित किया है कि एसवी की रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है।	क्षेत्रीय रेलें/प्र.का.नि/लेखा/का.नि.वित्त/ व्यय और

	ण	ग. रेडिका और बरेका ने विशेष रूप से कॉफमो से आरसीएफ को स्थानांतरित किए जा रहे कार्य को देखते हुए अधिकारियों की रिक्तियों को भरने का मुद्दा उठाया। (घ) परामर्शदात्री कार्यों और ओपन लाइन, निर्माण और उत्पादन इकाइयों में रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के वित्त अधिकारियों के लिए विशेष रूप से निविदा मामलों के लिए और अधिक प्रत्यायोजन की जांच की जा सकती है।	का.नि. वित्त/एस
9	आईपास/ कंप्यूटरीकरण आदि	क. एमईआरएस मॉड्यूल का उपयोग ऑनलाइन बकाया संग्रह करने के लिए किया जाना चाहिए। एमईआरएस के दायरे का विस्तार करने और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में सुधार के लिए सुझाव भेजे जाने चाहिए। ख. पीआरएएन सुविधा के ऑनलाइन सृजन को सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा उपयोग के लिए लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए ग. आईआरडब्ल्यूसीएमएस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल हस्ताक्षर लागू किए जाएं। घ. लेखांकन सुधारों की कार्यप्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण/रिफ्रेशिंग के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिग का पुनः आयोजन किया जाए। ङ. प्रमुख वित्त सलाहकार, प.म.रे ने संग्रहन विवरणों के आंकड़ों को सही तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता का मामला उठाया। च. सडिका और चिरेका ने आईएमएमएस और आईपीएएस द्वारा सृजित खरीद उचंत आंकड़ों के मिलान के लिए तंत्र का मुद्दा उठाया।	क्षेत्रीय रेलें/ जेडीएफसीसीए/ निदेशक लेखा
10	ई-एमसीडीओ	क. अच्छे कार्यों/उन्नत प्रक्रियाओं पर रिपोर्ट एमसीडीओ के एक भाग के रूप में रेलवे बोर्ड को भेजी जाए। ख. ई एमडीसीओ समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विवरण भी उपलब्ध नहीं हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन्हें अगले महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाए। ग. लंबित मध्यस्थता मामलों का विवरण ई-एमसीडीओ के साथ भेजा जाना चाहिए।	क्षेत्रीय रेलें

अनुलग्नक ।

क्र.सं.	रेलवे बोर्ड के अधिकारी	पदनाम
1	अंजलि गोयल	सदस्य वित्त
2	रूपा श्रीनिवासन	प्र.कार्यपालक निदेशक (लेखा)
3	भास्कर चोराडिया	कार्यपालक निदेशक वित्त/बजट
4	अजीत कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक/व्यय
5	रबींद्र एन मिश्रा	कार्यपालक निदेशक/वाणिज्य
6	संजीव शर्मा	विकाधि/लेखा
7	संजीव जैन	कार्यपालक निदेशक वित्त (भंडार)
8	प्रतिमा त्रिपाठी	निदेशक वित्त/लेखा
9	विपुल त्रिपाठी	निदेशक लेखा
10	अजय बर्थवाल	संयुक्त निदेशक वित्त सीसीए
11	पुनीत मीना	संयुक्त निदेशक/बजट

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयों के अधिकारी	पदनाम
1	भावना शर्मा	पीएफए/एनडब्ल्यूआर
2	तृप्ति माथुर मेहरा	एफएसीएओ जी/ एनडब्ल्यूआर
3	रूपेश सिंघवी	एफएसीएओ/सी/ एनडब्ल्यूआर
4	योगेश कुमार श्रीवास्तव	पीएफए/एनसीआर
5	आदित्य जोशी	एफएसीएओ/डब्ल्यूएसटी/ एनसीआर
6	चंदन कुमार वर्मा	एफएसीओए/सी/ एनसीआर
7	अंजू रंजन	एफएसीओए/सी/एसडब्ल्यूआर
8	श्रीनिवास एन राजू	एफएसीओए/डब्ल्यूएण्डएस/ एसडब्ल्यूआर
9	मुरलीधर मधुर	पीएफए/एसईसीआर
10	संदीप माहेश्वरी	एफएसीएओ/सी/एसईसीआर
11	पराग कात्रे	एफएसीएओ/एफएण्डजी/एसईसीआर
12	ए वेंकट रेड्डी	पीएफए/एससीआर
13	शांति एस राजू	एफएसीएओ/टी/एससीआर
14	विवेकानंद	एफएसीएओ/सी/एससीआर
15	सत्येंद्र कौशिक	पीएफए/एनआर
16	अमृता दर्पण	एफएसीएओ/डब्ल्यूएण्डएस/ एनआर
17	तनु चंद्रा	एफएसीएओ/सी/एनआर
18	श्रीशैल माल्गे	एफएसीएओ/बुक्स/एनआर
19	उषा वेणुगोपाल	पीएफए/एसआर
20	एस कृष्णामूर्ति	एफएसीएओ/सी/एसआर
21	सलीम जावेद	एफएसीएओ/जी/एसआर
22	रवि शंकर मित्रा	पीएफए/ईसीओआर
23	सुमना मोहंती	एफएसीएओ/टी/ईसीओआर
24	रामचंद्र राव	एफएसीएओ/सी/ईसीओआर
25	प्रशांत मिश्रा	पीएफए/ईआर
26	मालाबिका मोहन घोष	एफएसीएओ/सी/ईआर
27	सौरभ मित्रा	एफएसीएओ/जी/ईआर
28	प्रीति झा	पीएफए/एनईआर
29	रोहित राज गुप्ता	एफएसीएओ/एफएण्डजी/एनईआर
30	अमर जीत गौतम	एफएसीएओ/सी/एनईआर
31	सौम्या माथुर	पीएफए/एसईआर
32	अंबिका जैन	एफएसीएओ/एसईआर

33	शरत भाटिया	एफएसीएओ/सी/एसईआर
34	अनीता सरमा	एफएसीएओ/सी-I/सीआर
35	नमिता त्रिपाठी	एफएसीएओ/एफएण्डबी/सीआर
36	अमिता शुक्ल	एफएसीएओ/एफएण्डजी/सीआर
37	निभा सिंह	पीएफए/सीआर
38	उमा रानाडे	पीएफए/डब्ल्यूआर
39	के भुवनेश्वरी	एफएसीएओ/सी/डब्ल्यूआर
40	मनोज आर असावा	एफएसीएओ/एफएण्डबी /डब्ल्यूआर
41	नवल के श्रीवास्तव	पीएफए/डब्ल्यूसीआर
42	दीपा चावला	एफएसीएओ/एफएण्डबी /डब्ल्यूसीआर
43	शुभाषीश नाथ	एफएसीएओ/सी/डब्ल्यूसीआर
44	मधुकर सिन्हा	पीएफए/ईसीआर
45	छवि झा	एफएसीएओ/सी/ईसीआर
46	बसंत कुमार सिंह	पीएफए/मेट्रो
47	दिनेश कुमार गुप्ता	पीएफए/कोर
48	डी के रमैय्या	पीएफए/एनएफआर
49	डेविड लालमलसावमा	एफएसीएओ/एफएण्डबी /एनएफआर
50	महाबीर प्रसाद	एफएसीएओ/जी/एनएफआर
51	बिक्रम सिंह गिल	एफएसीएओ/पीएलडब्ल्यू
52	जी एस हीरा	पीएफए/आरसीएफ
53	अमर कुमार सिन्हा	पीएफए/बीएलडब्ल्यू
54	पी के दास	पीएफए/सीएलडब्ल्यू
55	अपर्णा गर्ग	पीएफए/आरडब्ल्यूएफ
56	करुणकेर के मेनन	पीएफए/आईसीएफ
57	हेमा सुनीता	एफएसीएओ/परियोजनाएं/ आईसीएफ
58	सुधीर कुमार	एफएसीएओ/सीएलडब्ल्यू
59	विनीत द्विवेदी	कार्यपालक निदेशक/वित्त/अ.अ.मां.सं

अनुलग्नक ॥

	समीक्षा के लिए कार्यसूची की मदें
1	राजस्व व्यय की स्थिति: अतिरिक्त आवश्यकता/अभ्यर्पण
2	मूलधन व्यय की स्थिति: कैपेक्स का उपयोग, आरजी 2022-23 आबंटन की नवीनतम स्थिति, स्रोतवार और योजनाशीर्षवार निधि, पुराने बकायों की निकासी के अनुसार निधि की अतिरिक्त आवश्यकता/अभ्यर्पण का विवरण
3	प्रत्यक्ष बिलों की स्थिति
4	राजस्व की कमी
5	वसूली योग्य बिल (जनवरी माह के अंत तक की स्थिति)
6	उचंत यातायात
7	उचंत बैलेंस की निकासी
8	पेंशन भुगतान की जांच
9	ओटी एवं स्थापना से संबंधित व्यय की समीक्षा
10	तेल कंपनी के बिलों के भुगतान में देरी
11	लेखा इकाइयों द्वारा बिलों की नियमित जांच सहित आंतरिक जांच के लिए विशेष उपायों एवं कार्यान्वयन की स्थापना
12	टीएएमएस का कार्यान्वयन: इसकी कमियां
13	जीएसटी-आईटीसी की स्थिति
14	रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.03.2022 का पत्र सं. एफ(एक्स)II/2022/पीडी/1 के अनुसार उत्पादकता परीक्षण का रिपोर्ट
15	* क्षेत्र/उत्पादन इकाई से संबंधित अन्य मद